

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक: 4266 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, मार्च 06, 2020

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या-1739/ 11- सी-एफ0पी0/यू0पी0/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 27.02.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी जानी वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुए संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक-3150/ रेनुकूट / 15-28 दिनांक 0303.2020 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा संस्तुति सहित निम्नप्रकार प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र 1739/11- सी- एफ0पी0/ यू0पी0/ ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 27.02.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की संशोधित गणना प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या नियमानुसार संस्तुति सहित एतदसह संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- अ/समादिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर